इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 4 जनवरी 2011—पौष 14, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2011

क्र. 57-5-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30 दिसम्बर 2010 को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २ सन् २०११

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, २०१०

[दिनांक ३० दिसम्बर, २०१० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक ४ जनवरी, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.

धारा २३-क का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) की धारा २३-क की उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(२) राज्य सरकार, उपांतरित योजना के प्रारूप को, उपांतरित योजना प्रारूप के तैयार किये जाने की तथा उस स्थान या उन स्थानों की, जहां उसकी प्रतियों का निरीक्षण किया जा सकेगा, सूचना एक ऐसे दैनिक हिन्दी और एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित कराएगी जो कि विज्ञापन के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार की अनुमोदित सूची में हों, और हिन्दी समाचार पत्र का परिचालन उस क्षेत्र में होना चाहिए जिससे कि वह संबंधित है, और उसकी एक प्रति, कलक्टर कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकाई जाएगी, जिसमें किसी भी व्यक्ति से ऐसी सूचना के प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर उसके संबंध में लिखित आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे और उन समस्त आपत्तियों तथा सुझावों पर, जो कि सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हों, विचार करने के पश्चात् और उससे प्रभावित समस्त व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, राज्य सरकार उपांतरित योजना की पुष्टि करेगी.".

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2011

क्र. 58-5-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेशनगर तथा ग्राम निवेश संशोधन, अधिनियम, 2010 (क्रमांक 2 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 2 OF 2011

THE MADHYA PRADESH NAGAR TATHA GRAM NIVESH (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2010.

[Received the assent of the Governor on the 30th December 2010; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 4th January 2011.]

An Act Further to amend the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1.(1) This Act may be called the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010.

Amendment of Section 23-A.

2. For sub-section (2) of Section 23-A of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the following sub-section shall be substituted, namely :—

" (2) The State Government shall publish the draft of modified plan together with a ntoice of the preparation of the draft modified plan and the place or places where the copies may be inspected, in a Hindi and an English daily newspaper, which are in the approved list of the Government for advertisement purposes and the Hindi newspaper should have circulation in the area to which it relates and a copy thereof shall be affixed in a conspicuous place in the office of the Collector, inviting objections and suggestions in writitng from any person with respect thereto within fifteen days from the date of publication of such notice, and after considering all the objections and suggestions as may be received within the period specified in the notice and shall after giving reasonable opportunity to all persons affected thereby of being heard, the State Government shall confirm the modified plan.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.